

संचिका सं० 10/गै०यो०-2-01/2015...1193(10)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 07-03-19

विषय:-महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-20-मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य -उप मुख्य शीर्ष-06-लोक स्वास्थ्य-लघु शीर्ष- 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-उपशीर्ष-0012-महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना अंतर्गत विषय शीर्ष इकाई (21 01) सामग्री एवं पूर्तियाँ-विपत्र कोड-20-2210061010012 के तहत भुगतान हेतु राज्य के 38 जिलों के महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना निमित्त कुल राशि रूपये 2,78,43,200/- (दो करोड़ अठहत्तर लाख तेतालिस हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कइना है कि महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना को वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए विस्तारित करते हुए राज्य के 38 जिलों में संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा चयनित महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना मद से राज्य के 38 जिलों (सूची संलग्न) में महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना निमित्त उपबंधित कुल राशि रूपये 2,78,43,200/- (दो करोड़ अठहत्तर लाख तेतालिस हजार दो सौ) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ।

- 2- उपरोक्त राशि चयनित महादलित टोलों की वास्तविक जनसंख्या के आधार पर एवं वास्तविक मांग के आधार पर आवंटित राशि का वितरण सिविल सर्जन द्वारा आवश्यकतानुसार की जा सकेगी ।
- 3- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 दिनांक 17.4.98 एवं अद्यतन निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी ।
- 4- राशि की निकासी मांग संख्या-20-मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-उप मुख्य शीर्ष-06-लोक स्वास्थ्य-लघु शीर्ष-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-उपशीर्ष-0012- महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना-विषय शीर्ष इकाई (21 01) सामग्री एवं पूर्तियाँ-विपत्र कोड-20-2210061010012 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा ।
- 5- जिलों में महादलित टोला का चयन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाएगा ।
- 6- राशि की निकासी एवं व्ययन जिले के संबंधित सिविल सर्जन द्वारा की जाएगी एवं नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे ।

- 7- संबंधित सिविल सर्जन राशि की निकासी (संलग्न व्यय विवरणी के आलोक में) कर चयनित कैम्प को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं सभी सिविल सर्जन राशि का विस्तृत व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को भेजते हुए इसकी एक प्रति स्वास्थ्य विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।
- 8- राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- 9- प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
- 10- राशि की निकासी जिले के संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी।
- 11- यह मात्र स्वीकृत्यादेश है आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
- 12- कैम्प का चयन किये बिना राशि की निकासी नहीं की जायेगी। राशि की अनियमित निकासी के लिए संबंधित सिविल सर्जन पूर्णतः जबावदेह होंगे।
- 13- आवंटित राशि के आधार पर कैम्प का आयोजन किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(राधेश्याम साह)


सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-10/गै0यो0-2-01/2015...11.9.3(10)

/स्वा0,पटना, दिनांक:- 07-03-19

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला स्वास्थ्य समिति/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवायें/प्रशाखा पदाधिकारी 10 एवं 7/कार्यवाह सहायक, प्रशाखा-10 को पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ के साथ एवं आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।


वित्तीय वर्ष 2018-2019 में महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजनान्तर्गत जिलावार आवंटित राशि की विवरणी :-

क्रम	जिला का नाम	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3
1	शिवहर	1,23,500
2	अरवल	1,72,100
3	मुंगेर	3,02,400
4	लखीसराय	2,21,200
5	शेखपुरा	2,16,100
6	किशनगंज	2,02,500
7	बक्सर	3,40,200
8	बांका	4,86,700
9	कटिहार	5,21,700
10	सहरसा	5,80,000
11	जमुई	4,79,800
12	भागलपुर	6,09,300
13	सुपौल	6,66,600
14	जहानाबाद	3,36,300
15	बेगूसराय	6,31,900
16	वैशाली	13,85,400
17	मधेपुरा	7,59,500
18	गोपालगंज	6,60,800
19	कैमूर	6,27,500
20	अररिया	6,35,800
21	सिवान	7,34,500
22	भोजपुर	5,88,600
23	औरंगाबाद	8,41,000
24	मधुबनी	12,30,200
25	दरभंगा	12,41,400
26	पूर्वी चम्पारण	9,35,000
27	पूणिया	8,95,200
28	सारण	8,04,200
29	रोहतास	7,85,800
30	नालदा	7,92,700
31	पश्चिम चम्पारण	11,07,200
32	नवादा	11,25,700
33	मुजफ्फरपुर	14,54,300
34	पटना	10,79,400
35	गया	15,54,500
36	समस्तीपुर	14,64,400
37	सीतामढ़ी	8,12,000
38	खगड़िया	4,37,800
	कुल योग:-	2,78,43,200/-

(दो करोड़ अठहत्तर लाख तैतालिस हजार दो सौ रूपये)

1193(10)

07-03-19


सरकार के विशेष सचिव ।

महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा जांच हेतु शिविर आयोजन हेतु व्यय विवरणी:-

एक जिला का व्यय

(क) प्रथम चक्र स्वास्थ्य एवं चश्मा जाँच शिविर आयोजन में व्यय विवरणी

1. टेन्ट, टेबुल, कुर्सी आदि-	3,000=00
2. प्रसार एवं प्रसार में व्यय-	2,000=00
3. स्वास्थ्य कार्ड का प्रिटींग में व्यय-	1,500=00
4. पेट्रोल या गाडी में व्यय-	3,000=00
5. चाय एवं नाश्ता (चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मों के लिए- प्रति कर्मों 50 रु0 की दर से 10 कर्मों के लिए)	500=00
6. आकस्मिक व्यय - (जहाँ चश्मा जाँच करने के लिए नेत्र सहायक उपलब्ध न हो वहाँ प्राइवेट नेत्र सहायक को रखने पर प्रति नेत्र सहायक 500 रु0 की दर से)	1,000=00

कुल व्यय 11,000=00

(ख) द्वितीय चक्र स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजन में व्यय विवरणी

1. टेन्ट, टेबुल, कुर्सी आदि-	3,000=00
2. पेट्रोल या गाडी में व्यय-	3,000=00
3. चाय एवं नाश्ता (चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मों के लिए- प्रति कर्मों 50 रु0 की दर से 10 कर्मों के लिए)	500=00
4. अधिकतम 200 रुपये प्रति चश्मे की दर से प्रति चश्मा (25 लाभुकों के लिए) में कुल व्यय-	5,000=00
6. आकस्मिक व्यय - (जहाँ चश्मा जाँच करने के लिए नेत्र सहायक उपलब्ध न हो वहाँ प्राइवेट नेत्र सहायक को रखने पर प्रति नेत्र सहायक 500 रु0 की दर से)	1,000=00

कुल व्यय 12,500=00

अर्थात् एक केन्द्र पर व्यय (क्रमांक क +ख का योग) 11,000+12,500=23,500 (तेइस हजार पाँच सौ)

(ग) जिलों में आवंटित राशि के अनुसार कैम्प का आयोजन अधिकाधिक किया जाए ताकि महादलित आबादी की अधिकतम संख्या अच्छादित हो।

1193(10)

०७-०३-१९

सरकार के विशेष सचिव ।